न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 –20/2019

अनवान : –

1. मुकेश कुमार पुत्र श्री प्रतापसिंह जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. मनीषा पुत्री श्री प्रतापसिंह जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–श्री नरेन्द्र शर्मा वकील –प्रार्थी
राजपैरोकार –राज0 सरकार

निर्णय दिनांक 31/01/2020

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील भादरा रोही मौजा डाबडी के खाता सं0 453/430 में मुश्तर्का खाता में प्रार्थीगण की खातेदारी दर्ज है जिसमें प्रार्थीगण का नाम विरासतन दर्ज करते समय प्रार्थीगण का सही नाम मुकेश कुमार के स्थान पर मनीष दर्ज हो गया एवं इसी प्रकार प्रार्थीया का सही नाम मनीषा के स्थान पर निशा दर्ज हो गया।

प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का सही एवं वास्तविक नाम मुकेश कुमार के स्थान पर मनीष एवं इसी प्रकार प्रार्थीया का सही नाम मनीषा के स्थान पर निशा दर्ज रहने से प्रार्थीगण के हितों पर विपरित असर पड़ता है। जबकि प्रार्थीगण के परिवार राशनकार्ड, आधारकार्ड में भी प्रार्थीगण का नाम मुकेश कुमार पुत्र प्रतापसिंह व मनीषा पुत्री प्रतापसिंह दर्ज है। जिनकी फोटो प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है जिससे साफ रोशन है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत डाबडी के सरपंच द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी किया हुआ है जो असल ही संलग्न प्रार्थना पत्र किया जा रहा है।

प्रार्थीगण का उपरोक्त जमाबन्दी में मुकेश कुमार की बजाऐ मनीष व मनीषा की बजाए निशा दर्ज रहने से प्रार्थीगण के हितों पर विपरित असर पड़ता है। प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड, मूल निवास व जाति कार्ड नहीं बनवा सकता और उसका बेहतर उपयोग उपभोग नहीं कर सकता। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में अंकित अपना नाम मनीष पुत्र प्रतापसिंह के स्थान पर अपना सही एवं वास्तविक नाम मुकेश कुमार पुत्र प्रतापसिंह एव निशा पुत्री प्रतापसिंह के स्थान पर अपना सही एवं वास्तविक नाम मनीषा दर्ज करा पाने का मजाज कानूनी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने ग्राम डाबडी के खाता सं0 453/430 के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि " **प्रार्थीगण का नाम विरासतन दर्ज करते समय प्रार्थीगण का सही नाम मुकेश कुमार के स्थान पर मनीष व मनीषा के स्थान पर निशा दर्ज हो गया।** " जिसके समर्थन में प्रार्थी ने अपना मुख्य परीक्षा का शपथ पेश कर प्रति आधार कार्ड प्रदर्श प्रार्थी मुकेश कुमार पिता प्रतापसिंह 3ए, प्रार्थी मनीषा पुत्री प्रतापसिंह 6, परिवार राशन कार्ड 4ए, प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 व 7ए पेश किये है जिनमें प्रार्थीगण का नाम मुकेश पुत्र प्रतापसिह एवं मनीषा पुत्री प्रतापसिंह अंकित है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अत : प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त रोही मौजा रासलाना के खाता सं0 453/430 में मुश्तर्का खाता में प्रार्थी का नाम "**मनीष पुत्र प्रतासिंह के स्थान पर मुकेश पुत्र प्रतापसिंह एवं निशा पुत्री प्रतापसिंह के स्थान पर मनीषा पुत्री प्रतापसिंह** " दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31/01/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ (राज0)

(मुकेश बारैठ)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.02.28 11:49:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: